Dr. Dinesh Prasad Kamal
Professor,
Ancient Indian History and Archaeology
Patna University
Mob:9431047888

Email: dineshkamal78@gmail.com

Taxation

- कृषकों से राजा भूमि-कर लेता था • ग्रामभोजक अधिकारी,
- उपज एक भाग राज-भाग होता था, जो समयानुसार परिवर्तित होता रहता था,
- गौतम ने उत्पादन का 1/10, 1/8, 1/6 हिस्सा राज्य-भाग के रूप में माना है।
- वैदिक युग में यही राज-भाग बलि कहा
- बुद्ध युग में भी प्रचलित था
- बलिकृत के माध्यम से भी वस्तु को कर रूप में प्राप्त किया जाता था,
- बौधायन और वशिष्ठ नारद और विष्णु के अनुसार भी राजा उपज का छठवां भाग

II Part

- कौटिल्य के अनुसार राष्ट्र के अन्तर्गत 'समाहर्ता' नामक अधिकारी विभिन्न कर
- 13 तरह के राजस्वों का उल्लेख किया है।
- भाग-नामक कर अन्न उत्पादन -राजकर को दिया जाता था,
- बलि- उपहार, रूप, धन के रूप में होता था,
- राजकीय भूमि को - कृषक जोतते-बोते थे, उपज आधा-भाग राज प्राप्त करते थे।
- भूमि के बाद कृषक को चलकर भी प्रदान - उपज भाग, 1/6 भाग
- भूमि की अनुकूलता तथा सिंचाई के साधन से उसकी सम्पन्नता को दृष्टि में रखकर भूमि-कर की व्यवस्था की जाती। नदी, ताल और कुएँ के जल पर सिंचाई करके अधिकार 1/3 या 3/4 भाग, अथवा कम-कम उपज का 5वां भाग लिया जाता था,

सामन्त राष्ट्र का स्वामी होने के नाते, राज्य कर का स्वामी होता है, कर का कभी 1/10 भाग था, महाभारत के अनुसार 1/10 - भाग के लिए कर देना पड़ता था, 1/6 - कृषि के लिये।

अशोक के रुम्मिनदेई स्तंभलेख - बुद्ध के जन्म स्थान कपिलवस्तु (लुम्बिनी वन) पर होने वाले राज कर को पाँच भाग को कम करके 1/8 वां भाग वसूल करने के लिए अपने अधिकारियों को निर्देश दिया, जो साधारणतः प्राप्त होने वाले राजभाग का आधा भाग था,

पूर्वमध्य युग आते - आते समाज के कृषकों से अनेक प्रकार के कर लिया जाने लगा, जैसे - भाग, भोग, बलि, कर, धान्य, हिरण्य, उद्रंग, उपरिकर, उद्रक, भाग-प्रतिभाग आदि।

(1) भाग → भूमि - उपज 6 वां भाग
गाहड़वाल दानपत्रों में भाग, भोग, का हिरण्य आदि

(2) भोग - फूल, लकड़ी आदि वस्तुएं पर प्रदान की जाती थी।

(3) बलि - ऋग्वैदिक राजाओं को उपहार में मिलता।

(4) कर - अन्न, धान्य

हिरण्य → खनिज पदार्थों अथवा सम्पत्ति के रूप में
लिया जाता था,

उद्रंग और उपरिकर → भूमि या स्थायी रूप रहने पर
कर को दिया जाता था, , जल कर दिया जाता था,

प्रतिभाग → फूल- फल
कूटक → गृह- कर
शुल्क → व्यापारियों से चुंगी के रूप में लिया
कौटिल्य ऐसी वस्तुओं से शुल्क नहीं लिया,
जो कि विवाह कार्य, अन्न भेंट, सामान उपहार
इत्यादि। पतंजलि ने व्यापारिक शुल्कों को
उल्लेख किया है।
गहड़वाल शासक गोविन्द चन्द्र के एक अभिलेख से
विदित होता है, कि जल पर भी कर लगता था,
सोमदेव लिखा - पैण्ठास्थान, बड़ी मण्डियों, विभिन्न
वस्तुएं पर जो कि अनेक देशों के व्यापरियों के द्वारा
आती थी।